

कार्यालय, विहार शिक्षा परिगोजना, पटना

पत्रांक 779

दिनांक 06/05/2021

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यावस्थापक / प्रबंधक

दून पब्लिक स्कूल, मा-पो नदरौ, श्याम चन्द्रा विद्यालय, पटना।

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगकर्ता बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के अधिनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रवीणता परीक्षण प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आदेश पर और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाये गए अधिलेख के आलोक में आपके विद्यालय दून पब्लिक स्कूल नदरौ, चन्द्रा पटना को 01 कक्षा से 08 कक्षा तक संचालन हेतु तीन वर्ष 07/05/2021 से 06/05/2024 अवधि के लिए औपचारिक प्रवीणता अर्थात् विस्तार की जाती है।

परन्तु प्रवीणता निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रवीणता किराी भी परिस्थिति में कक्षा प्राप्त तक की सीमा को बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (संशुद्धिक-1) तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2010 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेंगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगे तथा सन्त मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा तराकी पूर्णता तक प्रदान करेंगे, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कक्षा 3 में सन्त बच्चों के मामले में दून पब्लिक स्कूल को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की संधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेंगा।
5. शौचाईसी / विद्यालय के द्वारा किराी प्रकार का व्यक्तियुक्त अनुदान नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किराी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का परीक्षण नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किराी बच्चों के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इससे से किराी एक कारण के आधार पर इनकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:
 - i. किराी भी नामांकित बच्चों को किराी भी कक्षा में रोक कर नहीं रखा जाएगा और न ही किराी नामांकित बच्चा को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से विष्कारित किया जाएगा।
 - ii. किराी भी बच्चों को किराी प्रकार का शारीरिक नुक़ नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किराी भी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किराी भी प्रकार के नोट परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - iv. प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करनेवाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।
 - v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
 - vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की संधारा 1 में, उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में

Mahjir
06/05/2021

कार्यस्त वैसे सभी शिक्षक जो निर्धारित अनुभव योग्यता नहीं धारित करते हैं, निर्धारित अनुभव योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

7. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिर्कों के दायित्व का निर्दिष्ट करेगा।
8. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
9. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक का अनुसरण करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
11. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्भूत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत -
विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल : 6000 वर्गफीट । कुल निर्मित क्षेत्र : 4000 वर्गफीट
खेल के मैदान का क्षेत्र : उपलब्ध
वर्गकक्षा की कुल संख्या : 15 प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-मंडार कक्षा : 02
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय : बालक 6 बालिका 6
पेयजल की सुविधा : उपलब्ध गत्याह योजना के लिए रसाई-घर : उपलब्ध
बाजारहित पहुँच : उपलब्ध
शिक्षण अधिनियम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय : उपलब्ध
12. कोई भी अप्रत्याशित वर्गकक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगी।
13. विद्यालय गवर्न अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
14. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत नियमित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
15. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के सच्य अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
16. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलाके में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यक्रम प्रदायिकारी प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान की भेजी जाएगी।
17. आपके विद्यालय को आवंटित प्रतीकृत कोड संख्या PATRI/PBSCH28 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्भूत किया जाए।
18. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रतीकृति की शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
19. यदि सोसाइटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
20. आपके विद्यालय का औपचारिक निबंधन करने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया कि अगर भविष्य में यह पाया जाता है कि विद्यालय द्वारा कोई गलत सूचना/अनिर्देश दिया गया है, तो विद्यालयों का निबंधन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासात्मजन

Mashit
06/05/2021

Sanjay Kumar
Principal
Doon Global School
Affiliated to C.B.S.E. upto 10+2
Aff. No.-330343
Nadwan, Patna-804453

जिला कार्यक्रम प्रदायिकारी
प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान

पटना

Manager
Doon Global School
Nadwan, Patna-804443